(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 48/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि.... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, को, जब भारत में उनका आयात किया गया हो, उन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित राशि से अधिक होती हो, यथा-

सारणी

क्र. सं.	**अध्याय या शीर्षक या उप शीर्षक या टैरिफ मद**	**वस्तुओं का विवरण**	**मानक दर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	1507 10 00	कच्चा सोयाबीन तेल, चाहे डिगम्ड हो या नहीं	शून्य
2.	1507 90 10	सोयाबीन तेल, खाद्य ग्रेड	17.5%
3.	1511 10 00	कच्चा पाम ऑयल	शून्य
4.	1511 90	रिफाइंड ब्लीचेड डेओडोरिसेड (आरबीडी) पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम स्टीयरिन और कच्चे पाम तेल के अलावा कोई भी पाम तेल	17.5%
5.	1512 11 10	सूरजमुखी के बीज का कच्चा तेल	शून्य
6.	1512 19 10	सूरजमुखी तेल, खाद्य ग्रेड	17.5%

2. यह अधिसूचना 14 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी और 31 मार्च, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी -190354/226/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार